उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. : H00993/C-4/विधि-/474/2023 Date : 20-09-2023

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: **Reply on behalf of Respondent No.-5, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of the order dt. 07.08.2023 passed in O.A. No. 496/2023, Satyendra Rawat Vs. M/s Medical Pollution Control Committee and Ors.**

Sir,

That in compliance to the order dated 07.08.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 496/2023, Satyendra Rawat Versus M/s Medical Pollution Control Committee & Ors., the Reply of the Respondent No.-5, Member Secretary, UPPCB, is annexed herewith for kind perusal and consideration of the Hon'ble Tribunal.

Encl: As above

Yours Sincerely,

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Copy to:

1. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Regional Officer, Agra, U. P. Pollution Control Board, for information.

Member Secretary

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 496 of 2023

IN THE MATTER OF:
Satyendra Rawat

......Applicant

Versus

M/s Medical Pollution Control Committee & Ors.

.....Respondent(s)

INDEX

S.No.	Particulars	Page Nos.
1.	Reply on behalf of Respondent No.-5, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-8
2.	**Annexure No.-1** A copy of the letter dated 29.08.2005 of State Board	9-12
3.	**Annexure No.-2** A copy of the inspection report dt. 15.11.2011	13
4.	**Annexure No.-3** A copy of the inspection report dt. 16.05.2019	14-16
5.	**Annexure No.-4** A copy of the inspection report dt. 07.06.2023	17-18
6.	**Annexure No.-5** A copy of the letter/notification dt. 17.04.2015	19-20
7.	**Annexure No.-6** A copy of the letter dt. 30.08.2023 of State Board	21-23

NEW DELHI
DATED:

FILED BY:

(Ajay Kumar Sharma)
Respondent No.-5,
Member Secretary,
U.P. Pollution Control Board

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 496 of 2023

IN THE MATTER OF:

Satyendra Rawat

......Applicant

Versus

M/s Medical Pollution Control Committee & Ors.

.....Respondent(s)

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-5, MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ajay Kumar Sharma aged about 57 years S/o of late Shri Jagdamba Prasad Sharma, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That the deponent is Member Secretary of the Uttar Pradesh Pollution Control Board and Respondent No.-5 in this O.A. and is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this affidavit.
2. That I have read the original application and have understood the same fully.
3. That the allegation against the Respondent no-5 is that he has issued Consent to Operate and authorized the operation of the Common Bio Medical Waste Treatment Facility unit M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra which is against law. It is hereby submitted that the said Consent to Operate and

Authorization has been issued by the Respondent No.-6 Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow without inspection report / recommendation of Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra. The present affidavit is being filed limited to that ground replying Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file detailed reply subsequently if so required.

4. That the State Board has issued a conditional No Objection Certificate to Respondent No.-1 vide its letter dated 05.03.2004, contained as Annexure No.-A-1 to the original application. Further, It was decided in the meeting held on 31.08.2004 of Monitoring Committee constituted by Hon'ble Supreme Court that the site of CBWTFs situated in Agra would be inspected by the members comprising the members of Monitoring committee and officials from Health Department, Municipal commissioner and U.P. Pollution Control Board. The inspection report of the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was submitted by the committee members on dt. 28.01.2005 and on the recommendation of the committee a notice was issued by the Regional Officer, UPPCB, Agra vide letter No. 2324/AM-1216/05 dated 07.02.2005. The notice issued by the Regional Officer, UPPCB, Agra is enclosed Annexure No.-A-3 to the original application.

5. That it is submitted that the site of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was inspected by the officials of the UPPCB on 16.05.2005 and on the recommendations of the

NOTARY R. ARORA Adv. & Notary MBADHD, Lucknow U.P. India Regd. No. 31(79)2001 GOVT. OF UTTAR PRADESH

Regional Office, UPPCB, Agra a Show Cause Notice was issued vide letter No. F48455/C-4/Bio Medical/Ms MPCC/73/2005 dated 07.07.2005 for the revocation of the Bio Medical Authorization granted vide letter No. F37600/C-4/Bio Medical/ 19/2004 dated 15.10.2004 which was valid for a period of one year. The copy of the show cause notice dated 07.07.2005 is contained as Annexure No.-A-4 to the original application.

6. That it is submitted that the Bio Medical Authorization granted to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra vide letter No. F37600/C-4/Bio Medical/19/2004 dated 15.10.2004 was revoked vide letter No. F50090/C-4/Ms MPCC/73/2005 dated 29.08.2005. The copy of the letter dated 29.08.2005 is enclosed herewith as Annexure-I to this reply.

7. That it is submitted that the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra had submitted the Bio Medical Authorization application on dt. 11.11.2011 and the site was inspected by the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra on 15.11.2011. During inspection no plant and machinery were found within the premises and on the basis of the recommendation of the Regional Office the Bio Medical Authorization was refused vide letter No. F97025/C-4/BMW-19/2011 dated 28.12.2011 and directions were issued to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board before starting the construction work at that site in future. The copy of the inspection report dated 15.11.2011 is enclosed herewith as Annexure-II to this reply & the copy of

NOTARY R. ARORA Adv. & Notary GOVT. OF UTTAR PRADESH

the letter dated 28.12.2011 is contained as Annexure No.-A-7 to the original application.

8. That it is submitted that the direction was again issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012. The copy of the letter dated 23.03.2012 is contained as Annexure No.-A-8 to the original application.

9. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has filled the Authorization application on dt. 13.10.2016 and it was refused by U.P. Pollution Control Board vide letter No.F93830/C-4/BMW-19/16 dated 10.01.2017 and was directed to comply with the previous directions issued vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012 for obtaining the Consent to Establish before the starting the construction work at that site in future. The copy of the letter dated 10.01.2017 is contained as Annexure No.-A-10 to the original application.

NOTARY R. ARORA GOVT. OF UTTAR PRADESH

10. That it is submitted that It was decided in the 46th meeting held on dt. 23.02.2019 of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority that a committee should be constituted under the Chairmanship of Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra consisting CMO Agra, Officer Incharge CPCB and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra as members of the committee. The site was inspected by the committee on 16.05.2019 and during

inspection it was found that the plant of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was completely closed and it was recommended by the committee that since Hon'ble Supreme Court in its order dated 22.03.2018 in Writ Petition (Civil no. 13381/1984 MC Mehta Vs Union of India and Ors.) has directed to maintain status quo, so no Authorization/ Clearance should be issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra. The copy of the inspection report dated 16.05.2019 is enclosed herewith as Annexure-III to this reply.

11. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has filed an online consolidated Consent to operate and / or Authorization application on dt. 29.05.2023 and the site inspection was done by the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra on dt. 07.06.2023 and during inspection it was found that the plant was not in operation and found in dilapidated state. The copy of inspection report dated 07.06.2023 is enclosed as Annexure-IV to this reply and the copy of the refusal letter dated 13.07.2023 is contained as Annexure No.- A-16 to the original application.

NOTARY R. ARORA Adv. & Notary GOVT. OF UTTAR PRADESH

12. That it is submitted that the Ministry of Environment and Forest vide its notification No. S.O.1142(E) dated 17.04.2015 has included Bio Medical Treatment Facilities in schedule 7d of the notification no. S.O.1533(E) dated 14.09.2006 and as per this amendment it is essential to obtain Environment

Clearances from SEIAA before establishing Bio Medical Treatment Facilities. The copy of the letter is enclosed as Annexure-V to this reply.

13.That it is submitted that Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 774/2022 Gaurav Garg Vs. Union of India and Ors. order dated 02.03.2023 has mentioned that;

.........57. The applicant has relied on letter dated 27.10.2017 sent by the MOEF&CC With reference to CPCB letter no F.No.B-31011/BWM(50)/ 2017WMD-I/629 dated 20.10.2017 clarifying the legal position regarding the queries mentioned therein and the relevant part thereof is reproduced as under:-

"x x x x

Subject: Amendment to the EIA notification, 2006 issues by MOEFCC vide S.O. No. 1142(E), dated 17.04.2015-regarding.

"x x x x

The clarification to the queries that whether EC is required in the following cases; may please be seen as below:

1. CBMWTF desires to replaces the existing incinerator and install new incinerator of same capacity.

Clarification: EC will be required, as there might be configuration changes that might impact the performance efficiency of the incinerator.

2. After installing new incinerator, the old incinerator is kept as standby and operated only in case there is any breakdown.

Clarification: Since capacity is increasing on installation of new incinerator, hence, EC is required.

3. CBMWTF increases its capacity only for disinfection by autoclaving/microwaving (but not incinerator);

Clarification: EC in this case can be applied under Clause 7(ii) of EIA Notification, 2006.

4. CBMWTF desires to enhance the existing capacity while up-grading the facility to comply with the stringent norms stipulated under BMWM Rules, 2016.

Clarification: EC is required, however, application under Clause 7(ii) may be acceptable."

NOTARY
R. ARORA
Adv. & Notary
MBADHD, Lucknow U.P. India
GOVT. OF UTTAR PRADESH

In compliance with the above mentioned directions M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has not obtained Environment Clearances from the competent authority for any change / modification / up gradation of its plant.

14. That it is submitted that the online consolidated Consent to Operate and Authorization here in after referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Rule-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 notified under Environment (Protection) Act, 1986 was issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra vide letter No. 189548/UPPCB/Agra (UPPCBRO)/CTO/both/AGRA/2023 dated 27/07/2023 by Respondent no.-6 Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow. Shri Vivek Roy, UPPCB pulled the file from the online portal of Regional Officer, UPPCB, Agra in an unauthorized manner before the field verification report and recommendation could be placed on the portal by the Regional Officer, UPPCB, Agra. This CTO was issued to the unit without giving any opportunity to Regional Officer, UPPCB, Agra to submit his field verification report / recommendation and compliances pertaining to various notices issued to the concern unit. Moreover, this CTO

NOTARY R. ARORA Adv. & Notary MBADHD, Lucknow U.P. India GOVT. OF UTTAR PRADESH

was issued without the recommendation and knowledge of Member Secretary (Respondent no.-5).

15. A letter for explanation was issued to Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow vide letter no. H00102/Law/474/23 dt. 30.08.2023 but the concerned officer who is also Respondent No.-6 of this O.A. has not submitted the satisfactory reply in this regard. The letter dt. 30.08.2023 issued to Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow is enclosed as Annexure- VI to this reply.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Deponent

NOTARY R. ARORA Adv. & Notary MBADHD, Lucknow U.P. India Regd. No. 31(79)2001 GOVT. OF UTTAR PRADESH

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

VERIFIED ON THIS THE 19th DAY OF SEPTEMBER, 2023, AT 8:30 p.m.

Deponent

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

R. ARORA
Adv. & Notary
Lucknow (UP) India
Regd. No. 31(79)2001
19/09/23

I know and identify the deponent who has signed/put T.I. before me 19/9/23

An-5 Annexure-I 479

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

9.19
29/9/05

संदर्भ सं० F50090
Ref. No.

दिनांक
Date 29-8-05

/सी–४/ बायोमेडिकल / मै० एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक

<u>पंजीकृत</u>

सेवा में,

मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
~~खसरा संख्या–८४,८५~~, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा(उ०प्र०) ।

AE(S)'05

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम्स आदि से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १६ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यतः आपकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सामुहिक उपचार व्यवस्था मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत ट्रायल हेतु सशर्त १ वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यतः दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि :–

१. मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ२८५५२/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त संत्र–१० के अनुसार कय किये जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्ग०मी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेसिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। जिसमें वाहनों का सुरक्षित अवागमन भी सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर शर्त सं० – ८ के अनुरूप हरित पट्टिका का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया ।

२. संस्था द्वारा इन्सीनिरेटर की क्षमता २०० किग्रा०/घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्सीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राइमरी चैम्बर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

३. गई जिसके कारण फीडिंग के समय चैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा फीडिंग के समय काफी धुँआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक वेस्ट जलाया जाता पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापमान ७१३ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो मानको के सापेक्ष कम है।

४. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिसर में लाने वाले वाहनों की धुलाई का कोई प्लेटफार्म नहीं पाया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भार मापन की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६'x ६' x १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अल्प मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व शार्प के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।

५. संस्था में इन्सीनिरेटर में अनवरत आटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोक्लेव पर आटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जगह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एल०पी०जी० सप्लाई बैंक की क्षमता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में १५ के०वी०ए० का डी०जी० सेट स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिबन्धित है। संस्था द्वारा एन०ओ०सी० में दी गई शर्त के अनुसार गैस जेनरेटर की स्थापना नहीं की गयी है।

६. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थली पर श्रेडर, थर्मोक्लेव, इन्सीनिरेटर, वेन्चुरी स्क्रबर व ३० मी० ऊँची चिमनी पाई गई। चिमनी में स्टैक मानीटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की स्टैक मानिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्प्रवाह शुद्विकरण हेतु स्थापित ईकाईयों में स्लज ड्राइंग बैड तथा आयल ग्रीस रिमूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। मंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम सवॉई स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मन्दिर तथा शीतगृह स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस–पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण किये जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदबू की समस्या से अवगत कराया गया।

७. संस्था द्वारा बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यतः मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंधन कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के पूर्व बोर्ड के पत्रांक एफ ४८४५५/सी–४/बायो मेडिकल/मे०एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक ७.७.०५ द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।

यतः कारण बताओं नोटिस दिनांक ७.७.०५ का उत्तर मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी द्वारा अपने पत्र दिनांक २१.७.०५ द्वारा प्रेषित किया गया परंतु उक्त उत्तर निम्नलिखित कारणों से संतोषजनक नही पाया गयाः–

(I) एक एकड़ भूमि की रजिस्ट्री की प्रति अभी तक प्राप्त नही हुई है। दिनांक २५.७.०५ को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से किये गये निरीक्षण में भी ७५० वर्ग मी० क्षेत्रफल में कामन फैसिलिटी की स्थापना पाई गई तथा यह पाया गया की हरित पट्टिका के विकास हेतु वॉछित प्रयास नही किये गये है।मामूली वृक्षारोपण लगभग १५ पेड़ लगाये गये है।

(II) इन्सीनेटर की क्षमता के सत्यापन हेतु मैनयूफैक्चर का सर्टीफिकेट अभी तक नही दिया गया है यद्यपि प्राधिकार की शर्त XXI में निर्देश दिये गये थे। दिनांक २५.७.०५ को किये गये निरीक्षण में भी इन्सिनेटर की क्षमता कम प्रतीत होना कहा गया है।आपका यह कहना उचित नही है कि सीपीसीबी गाइड लाइन में आटोमेटिक फीडिंग डिवाइस एवं डबल डोर प्राईमरी चैम्बर(गाइड लाइन के अनुसार हाठ फ्लू गैसेस के लीकेज व बैक फायर रोकने हेतु व्यवस्था अपेक्षित है) का प्राविधान नही है। प्राइमरी चैम्बर का तापमान दिनांक १६.५.०५ की ७१३° से० व २५.७.०५ को २३४° से पाया गया । दिनांक २५.७.०५ को सेकन्ड्री चैम्बर का तापमान भी १५२° से० पाया गया जो बहुत कम है। प्लास्टिक वेस्ट को इन्सीनरेट करना आपने स्वयं स्वीकार किया गया है।

(III) आप द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग,भण्डारण एवं पृथक व्यवस्था तथा भार मापन हेतु समुचित व्यवस्था होना बताया गया है जो उचित नही है। इंसिनेरटर ऐश हेतु बनाये गये पिट मे राख के साथ शीशियॉ आदि दिनांक २५.७.०५ को किये गये पुनः निरीक्षण में पाई गई तथा प्लास्टिक आदि वेस्ट के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था नही पाई गयी।

(IV) दिनांक २५.७.०५ को पुनः निरीक्षण में आटो क्लेव व ब्यालर संचालन में नहीं पाये गये तथा इनसिनिरेटर व थर्मो क्लेव पर अनवरत ऑटो मैटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था नहीं पायी गयी।गैस की खपत का विवरण मौके पर उपलब्ध नही कराया जा सका । विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ड्यूल फ्यूल पर आधारित १५ के०वी०ए० क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित किया गया है। एल०पी०जी० के प्रयोग हेतु जनरेटर के लिए सिलेण्डर बैंक की स्थापना नही की गयी है तथा अस्थायी रूप से मात्र एक सिलेण्डर जनरेटर से कनैक्ट किया गया था।प्रयुक्त

ईंधन(एल०पी०जी०) की खपत के संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया।जनरेटर से सम्बद्ध एक्जास्ट स्टैक की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नहीं है।उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था का संदर्भित स्थल टी०टी०जेड०प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है।

(V) दिनांक २५.७.०५ को निरीक्षण में पुनः पाया गया कि चिमनी के साथ गैसीय उत्सर्जन के नमूना एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की स्थापना नही की गई है,अतः स्टैक मानीटरिंग नहीं की जा सकी। संस्था में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र में अन्य इकाइयों के साथ स्लज ड्राइंग बैड्स तथा ऑयल ग्रीस ट्रेंप की व्यवस्था नही की गयी है।

आप द्वारा उत्तर में कहा गया है कि दिनांक ८.६.०५ को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण में सभी व्यवस्था ठीक पाई गई गलत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक ८.६.०५ में अनेको कमियॉ पाई गई है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा, के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही करने को कहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं व्यापक जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

मैसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जपनद–आगरा की निरीक्षण आख्या के संबंध में।

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.11 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था तथा उद्योग स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित पायी गई। उद्योग स्थल पर कोई भी प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई।
2. पूर्व में खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जपनद–आगरा में कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी स्थापना हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एफ28552/सी–4/एन0ओ0सी0/19/04 दिनांक 05.03.2004 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पत्रांक एफ 37600/सी–4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 के द्वारा एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार निर्गत किया गया था।
3. उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 48455/सी–4/बायोमेडिकल/मै0 एम0पी0सी0सी0/73/2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा पत्रांक एफ 50090/सी–4/बायोमेडिकल/मै0 एम0पी0सी0सी0/73/2005 दिनांक 29.08.2005 के द्वारा मै0 मेडीकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक एफ 37600/सी–4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 बोर्ड द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।

निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुशील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

AEE
(Niranjan Sharma)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

16/11

मै0मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा के प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट।

दिनांक 23.02.2019 को सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 46वीं बैठक में मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 7 (23.02.2019) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

".....विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा सदस्य नामित किये जाते हैं। गठित कमेटी द्वारा परीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाये। समिति की रिपोर्ट सहित प्रकरण टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की उक्त बैठक के उपरोक्त निर्णयानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.05.2019 को मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा सं0–84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय प्लाण्ट पूर्णतया बन्द पाया गया है।
2. मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी के कोआर्डिनेट 27°15'27"N एवं 78°11'38" E हैं। पूर्व–दक्षिण दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10x10 की फीट मजार व एत्मादपुर बरहन लिंक रोड एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर एक 8x8 फीट के कक्ष में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति का मन्दिर एवं पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–रसूलपुर (आबादी लगभग 700) स्थित है। मजार के निकट के कोआर्डिनेट 27°15'26"N एवं 78°11'42" E हैं। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम स्थापित है। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्लोबल एजूकेशनल एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट स्थापित है।
3. पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100 मी0 की दूरी पर एक गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
4. उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 900 मी0 तक कृषि भूमि, तत्पश्चात् ग्राम–मंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है।
5. उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
6. दक्षिण दिशा में लगभग 125 मी0 की दूरी पर एस0के0 सुकन्या प्राईमरी स्कूल (प्राईवेट) एवं स्कूल से लगा हुआ जयबालाजी शीतगृह, (कोआर्डिनेट 27°15'23"N एवं 78°11'42"E) तत्पश्चात् लगभग 500 मी0 की दूरी पर ग्राम–संवाई (आबादी लगभग 3000) स्थित है।

समिति द्वारा पाया गया कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 822/2017 में मा0अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

.....2

4.
485

"On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. That respondent no.9- M/s.Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no. 8 TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.
2. On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent/authorization from UPPCB-respondent no.4.
3. The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s JRR Enterprises.
4. In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/ approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.

Accordingly, original application No. 822 / 2017 is dispose of, with no order as to cost."

दिनांक 07.01.2015 को सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिन्दु सं0 3(1) के अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

"समस्त सम्बन्धित विभाग यथा जिला उद्योग केन्द्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गेल गैस लि0 एवं अन्य को निर्देशित किया गया कि भविष्य में टी0टी0जैड0 अथॉरिटी की अनुमति के बिना ताज प्रतिबन्धित सीमा के अन्दर किसी नये वायु प्रदूषणकारी/गैस आधारित उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित/चालित उद्योगों की वर्तमान स्थापित क्षमता में विस्तारीकरण/स्थापना हेतु अनुमति/अनापत्ति नहीं दी जाएगी।"

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को Consent to Operate (C.T.O.) जारी नहीं की गयी है। सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक–एफ28552/सी–4/एन.ओ.सी./19/04 दिनांक 05.03.2004 (संलग्नक–1) द्वारा Consent to Establish (C.T.E.) जारी की गयी है, जो 05 वर्ष के लिए वैध होती है, वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

वर्तमान में जनपद आगरा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 प्लाण्ट संचालित है, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to Operate (C.T.O.) प्राप्त है एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–एच32298/बीएमडब्लू अथॉराईजेषन/19 दिनांक 05.02.2019 (संलग्नक–2) द्वारा अथॉराईजेशन जारी किया गया है, जो पांच वर्ष तक वैध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, Ewaste recycling, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, solvent/ acid recovery plant, MSW sanitary land fill site) को लाल श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।

.....3

(3)

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2016 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सफेद श्रेणी के अतिरिक्त लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के संचालित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नये उद्योगों के स्थापना पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया गया है। बैठक के विन्दु सं0 (xi) के अन्तर्गत पारित निर्णय निम्नवत् उद्धृत है–

"Ad-hoc moratorium on the expansion and setting up of new industry (except white category) to control air pollution by TTZA."

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984–एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में आई0ए0 सं0 57183/2017 के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को *Status quo* के आदेश पारित किये गये है, जो कि निम्नवत् उद्धृत हैं–

"......It is stated by learned counsel for the State of Uttar Pradesh that the first draft of the vision document will take about four months. Until then, there will be a *status quo* in the Taj Trapezium Zone (TTZ).

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों तथा परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2018 के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण ताज़ ट्रेपेजियम क्षेत्र में *Status quo* के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 08.09.2016 के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में तदर्थ रोक प्रभावी है, ऐसी स्थिति में मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

अतः टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.02.2019 में पारित निर्णयानुक्रम में समिति की संयुक्त आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णयार्थ प्रेषित है।

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

(विपुल कुमार सिंह)
वरि0वैज्ञा0सहा0
केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड,
आगरा

(डा0 मुकेश वत्स)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा

(शुभ्रा सक्सेना)
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या–84 एवं 85 ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला आगरा की सहमति आवेदन पर निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित उद्योग के सहमति जल/वायु एवं हैजार्ड्स ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.05.2023 पर स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियो द्वारा दिनांक 07.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के मुख्य गेट पर ताला बन्द पाया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं कार्यालय अभिलेखानुसार पाये गये तथ्य निम्नवत् हैं–

1. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 इकाई मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या–84 एवं 85 ग्राम–संवाई, एत्मादपुर–बरहन रोड़ पर स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थल पर लिये गये अक्षांश व देशान्तर 27.25802 एवं 78.193848 नोट किये गये।
2. निरीक्षण के समय उद्योग बन्द एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया।
3. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के चारों दिशाओं का विवरण निम्नवत् है:–
   (अ) पूर्व–दक्षिण दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10X10 पीर बाबा की मजार (मजार के निकट के को आर्डिनेट 27°15'26" N एवं 78°11' 42" E) तथा एत्मादपुर बरहन लिंक रोड़ एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर हनुमान जी का मन्दिर स्थापित है।
   (ब) पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–रसूलपुर (आबादी लगभग 1000) स्थित है।
   (स) दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम एवं ग्लोबल एजूकेशनल एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट स्थापित व संचालित है।
   (द) पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100मी0 की दूरी पर एक नव निर्मित गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
   (य) उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 900मी0 तक कृषि भूमि, तत्पश्चात ग्राम–गंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की तक कृषि भूमि स्थित है।
   (र) दक्षिण दिशा में लगभग 190मी0 की दूरी पर एस0के0 सुकन्या प्राइमरी स्कूल संचालित है एवं स्कूल से लगा हुआ जय बालाजी शीत गृह संचालित है, तत्पश्चात लगभग 500मी0 से 1000 मी0 की दूरी तक ग्राम–संवाई (आबादी लगभग 4000 से अधिक) स्थित है।
4. मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ 28552/सी–4/एनओसी/19/04 दिनांक 05.03.2004 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।
5. इकाई को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 37600 दिनांक 15.10.2004 द्वारा बायोमेडिकल प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया था।
6. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2475/एएम–1216/05 दिनांक 16.02.2005 द्वारा फेसिलिटी स्थापना हेतु निर्धारित भूखण्ड के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्राधिकार की शर्तो का अनुपालन न किये जाने एवं बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजेमेण्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स, 1998 का उल्लंघन पाये जाने के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त प्राधिकार दिनांक 15.10.2004 को रिवोक किये जाने की संस्तुति की गई है। सी0बी0डब्लयू0टी0एफ0 द्वारा इकाई के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है।
7. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 एफ 48455/सी–4/बायोमेडिकल/एम0पी0 सी0सी0/73/ 2005 दिनांक 07.07.2005 द्वारा दिनांक 15.10.2004 द्वारा जारी बायोमेडिकल प्राधिकार पत्र एवं दिनांक 05.03.2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उद्योग को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
8. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0–एफ 50090/सी–4/बायोमेडिकल/एम0पी0सी0सी0 /73/2005 दिनांक 29.08.2005 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिये जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
9. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 द्वारा पूर्व में किये गये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार आवेदन दिनांक 28.12.2011 एवं 10.01.2017 को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया है।
10. कार्यालय द्वारा सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के पूर्व में निरीक्षण दिनांक 15.11.2011 एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 97025/सी4/बायोमेडिकल वेस्ट–19/2011 दिनांक 28.12.2011 में उद्योग परिसर में प्लांट एवं मशीनरी स्थापित न होने का उल्लेख किया गया है।

कृ0प0प0

11. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक एच-04920/सी-4/बीएमडब्ल्यू-19/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 को बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय तथा ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये अवैध रूप से नये सिरे से प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में तथा किसी भी दशा में अवैध एवं अनाधिकृत रूप से स्थापित फेसिलिटी का संचालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।
12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 रेड श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है तथा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
13. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (सि0) 13381/84 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य) की आई0ए0 संख्या-42482/2020 में दिनांक 08.12.2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

"This Interlocutory Application is filed for certain clarifications/modification of the Order dated 06.12.2019. By an Order dated 29.01.2021, 6 clarification sought in prayer clauses (a),(b) and (c) were made by this Court. In respect of the clarification of the Order dated 06.12.2019 pertaining to the concurrence with the Central Empowered Committee (CEC) and opinion of NEERI as mentioned in paras 8 and 9 of the Order, learned Amicus Curiae in consultation with Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General appearing for the State of Uttar Pradesh submitted a note. ***It has been agreed that a representative of NEERI shall be included as a Member in the Environmental Appraisal Committee (EAC) and State Environmental Appraisal Committee (SEAC) constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for dealing with industrial units falling in TTZ Area.***

In respect of industrial units where the Air Pollution Score as per CPCB and UPPCB is between 11 to 20, sectorial guidelines shall be obtained from NEERI. No industrial units shall be cleared by the State till sectorial guidelines are obtained from NEERI. For those industrial units having Air Pollution more than 20, the concurrence/opinion of NEERI will have to be obtained.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या-84 एवं 85 ग्राम-संवाई, तहसील-एत्मादपुर, जिला आगरा को वर्तमान स्थल पर बिना पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त किये सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 को संचालनार्थ सहमति जल/वायु/हैजार्ड्स प्राधिकार आवेदन पत्र पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं

07/06/23
(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञा0सहा0

07/6/23
(क्षितीश पटेल)
सहा0 वैज्ञा0 अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी/मु0पर्या0 अधि0 (वृत्त-4)

7/6/23

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 887] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1142(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थाप्ति की जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(घ)(क)	जैव-चिकित्सा (बायो-मैडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परियोजनाएं	

[फा.सं.3-9/2014-आईए.III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :—

1. का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

5. का.आ.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.आ.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ.2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
12. का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.आ.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O.1142(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities.	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H00/02 / विधि / 474 / 23

दिनांक– 30-8-2023

श्री विवेक राय,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–1)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–496 / 2023 सतेन्द्र रावत बनाम मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–496 / 2023 सतेन्द्र रावत बनाम मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 को मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा जो कि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण प्लाण्ट है, के विरुद्ध पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"..........6. The contention of the learned Counsel appearing for the applicant is that in suspicious circumstances, vide order dated 27.07.2023, Respondent No. 6, Chief Environment Officer, Circle-1, UPPCB granted consent and authorization to operate as a CBWTF subject to provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 from 27.07.2023 to 31.12.2023, no substantial ground had been given by the authorities concerned under facts and circumstances giving this application vide order dated 13.07.2023 was rejected and after 14 days the same was allowed.

7. On these grounds, IA No. 655/2023 has been moved with the prayer that the unit should not be permitted to operate in view of order dated 27.07.2023.

8. In view of above discussion and the letter dated 13.07.2023 issued by the Chief Environment Officer, Circle-4, unit should not be allowed to operate on the basis of another letter issued by Chief Environment Officer, Circle-1. Accordingly, operation of letter no. 189548/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTO/BOTH/Agra/2023 dated 27.07.2023 is stayed and unit will not be permitted to operate on the basis of this letter.

9. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

प्रकरण पर अवगत कराना है कि OCMMS Online Portal पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा को मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1 के द्वारा आनलाइन पत्र 189548/UPPCB/Agra (UPPCBRO)/CTO/BOTH/Agra/2023 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा सी0सी0ए0 एवं पत्र सं0 8538644 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया है। वर्तमान में उक्त ऑनलाइन पत्रावली वृत्त–1 के पोर्टल पर उपलब्ध है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया है कि उद्योग मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा के दिनांक 25.07.2023 को आवेदित आवेदन पत्रों पर कोई संस्तुति प्रेषित नहीं की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश एवं ओ0ए0 सं0–496 / 2023 सतेन्द्र रावत बनाम मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी व अन्य में अंकित तथ्यों के संबंध में निर्धारित समयावधि (06 सप्ताह) में रिप्लाई दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पूर्व में उद्योग मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा के प्रकरण पर निम्न निर्देश जारी किये गये–

1– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–एफ 97025 / सी–4 / बीएमडब्ल्यू / 19 / 2011 दिनांक 28.12.2011 द्वारा इकाई को निम्नवत् निर्देशित किया गया था–

"कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्राधिकार आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा स्तर से दिनांक 15.11.2011 को किया गया तथा पाया गया कि स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित है, प्लांट एवं

मशीनरी स्थापित नहीं है। आपके आवेदन पत्र में बायो मेडिकल प्रोसेस यूनिट के संचालन हेतु प्राधिकार की अनुमति मांगी गयी है। स्थल पर कोई भी मशीनरी बायो मेडिकल प्रोसेसिंग न होने के कारण प्रोसेसिंग यूनिट को संचालन का प्राधिकार नहीं दिया जाता है तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में उद्योग पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करना चाहता है तो स्थापना के पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में उद्योग निर्धारित अनापत्ति आवेदन प्रपत्र पर वांछित शुल्क एवं अन्य वांछित सूचनाओं सहित राज्य बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।''

1. मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0) द्वारा पूर्व में किये गये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार आवेदन दिनांक 10.01.2017 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया है तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–एफ 04920/सी–4/बीएमडब्ल्यू/19/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा इकाई को निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं–

''कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 16.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया है कि प्राप्त पत्र के साथ नवीन जैव चिकित्सा प्राधिकार आवेदन पत्र प्राप्त नहीं है। मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, आगरा के पास बोर्ड की वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, आगरा सामूहिक जैव चिकित्सा उपचार व्यवस्था की स्थापना ग्राम संवाई, तहसील–एत्मादपुर जनपद आगरा में किये जाने हेतु दिनांक 05.03.2004 को बोर्ड द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। दिनांक 15.11.2011 को क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के अधिकारियों द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में स्थल पर केवल चार दीवारी पायी गयी थी तथा स्थल पर कोई भी प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी थी। दिनांक 28.12.2011 तथा पुनः 10.01.2017 को संस्था का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। संस्था का स्थल ताज ट्रेपेजियम जोन में आता है। संस्था द्वारा बोर्ड की बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये अवैध रुप से नये सिरे से प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की गयी है। मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, आगरा को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी दशा में अवैध एवं अनाधिकृत रुप से स्थापित फैसिलिटी का संचालन नहीं किया जाये।''

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–774/2022 गौरव गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

57. The applicant has relied on letter dated 27.10.2017 sent by the MOEF&CC With reference to CPCB letter no F.No.B-31011/BWM(50)/ 2017WMD-I/629 dated 20.10.2017 clarifying the legal position regarding the queries mentioned therein and the relevant part thereof is reproduced as under:-

"x x x x Subject: Amendment to the EIA notification, 2006 issues by MOEFCC vide S.O. No. 1142(E), dated 17.04.2015-regarding. x x x x

The clarification to the queries that whether EC is required in the following cases; may please be seen as below:

1. CBMWTF desires to replaces the existing incinerator and install new incinerator of same capacity. Clarification: EC will be required, as there might be configuration changes that might impact the performance efficiency of the incinerator.

2. After installing new incinerator, the old incinerator is kept as standby and operated only in case there is any breakdown. Clarification: Since capacity is increasing on installation of new incinerator, hence, EC is required.

3. CBMWTF increases its capacity only for disinfection by autoclaving/microwaving (but not incinerator); Clarification: EC in this case can be applied under Clause 7(ii) of EIA Notification, 2006.

4. CBMWTF desires to enhance the existing capacity while up-grading the facility to comply with the

stringent norms stipulated under BMWM Rules, 2016. Clarification: EC is required, however, application under Clause 7(ii) may be acceptable."

उपरोक्त परिस्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि Respondent No.-5 (सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के रिप्लाई के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध करायें–

1– वृत्त–4 के कार्यक्षेत्र में स्थित उद्योग मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा को बिना क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से निरीक्षण आख्या/संस्तुति प्राप्त किये आवेदन पत्र का निस्तारण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1 द्वारा किस आधार पर सहमति जल, वायु एवं प्राधिकार पत्र 189548/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTO/ BOTH/Agra/2023 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा सी0सी0ए0 एवं पत्र सं0 8538644 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया है?

2– बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय आदेश के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के सहमति एवं बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार आवेदन पत्र का निस्तारण सदस्य सचिव की संस्तुति एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन की अनिवार्यता निर्धारित है, परन्तु मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा के आवेदन पत्रों के निस्तारण में उक्त प्रक्रिया तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–774/2022 गौरव गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी की गाइडलाइन का अनुपालन क्यों नहीं किया गया?

3– टी0टी0जेड0 क्षेत्र में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुये बिना राज्य बोर्ड की सी0टी0ई0/ई0सी0 प्राप्त किये उद्योग मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, ग्राम सवाई, खसरा सं0–84, 85 एत्मादपुर, आगरा को किस आधार पर सहमति जल, वायु एवं प्राधिकार पत्र 189548/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTO/ BOTH/Agra/2023 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा सी0सी0ए0 एवं पत्र सं0 8538644 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया है?

उपरोक्त सूचना विलम्बतम् 03 कार्य दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–496/2023 सतेन्द्र रावत बनाम मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 का अनुपालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जा सके।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि–

1–निजी सहायक, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2–विधि अधिकारी, प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव